2024/51

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला -- भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177 दावा	46/24	29/1/24	ANC 16/7/24	13/2/2024 ~~14/8/24~~ 16/7/24

अनवान

श्री तहसीलदार साहब

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री पंरोकार सरकार

श्री रुकमणी देवी w/o रामनाथ मीणा

निवासी प्लाट नं. 1 डी-70 शास्त्रीनगर ललीता कॉलोनी बैरियो की बस्ती जयपुर

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

मदयून

श्री

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129) 2024/51

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
177	46/24	29/1/2024		13/2/2024

अनवान

श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

निवासी बिजौलिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

डिक्रीदार

श्री ....

श्री रुकमणी देवी w/o रामनाथ जाति मीणा

निवासी प्लाट नं. 1 डी-70 शास्त्री नगर ललीता कॉलोनी बेरियो की बस्ती जयपुर

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

मदयून

श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

राजस्थान सरकार बनाम रूकमणी देवी

किस्म मुकदमा 177 नम्बर 46 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/2024	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 13/2/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। [signature] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
13/2/24	पत्रावली पेश हुई सरकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 5/3/24 को पेश हो [signature]	S/S
5/3/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 16/4/24 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	
16/4/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15/5/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/5/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 5/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी रजि. डाक से तामील भेजी गई	2 रजि. डाक से भेजी unsatisfied दी
5/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 26/6/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी रजि. डाक delivered	

26/6/24

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 10/7/24 को वास्ते [illegible] पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी

10/7/24

पत्रावली पेश हुई। विपक्षी को रजि. डाक से तामील करवाई गई। जिसकी रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में विपक्षी के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 16/7/24 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

16/7/24

पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री मुर्तिब की जावें एवं तहसीलदार बिजौलिया को पालना के लिए लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 46 / 2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादी

बनाम्

रूकमणी देवी पत्नि रामनाथ जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 1 डी–70 शास्त्रीनगर ललीता कॉलोनी बेरियो की बस्ती जयपुर।

........प्रतिवादी

उपस्थित :– पैरोकार तहसीलदार।

कार्यवाही अंतर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 16 /07/ 2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 विरूद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बिजौलियां खुर्द, पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2025 / 289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 2025 / 289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि में खातेदार की मौके पर काश्त नही हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर गैर कृषि कार्य किया गया। प्रतिवादी ने. खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर आराजी नं0 2025 / 289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि पर रलाव (मिट्टी का ढेर) पड़ा हुआ हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से भेजा गया। प्रतिवादी को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी से सिपूर्द हुआ जो शामील पत्रावली हैं। बावजूद सूचना के न तो प्रतिवादी और न ही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नया खाता संख्या 645 ग्राम बिजौलियां खुर्द, पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 17.01.2024 की प्रति, नक्शा, गुगल फोटो, कलर फोटोग्राफ –2 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम बिजौलियां खुर्द, पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2025/289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि पर रलाव (मिट्टी का ढेर) पड़ा हुआ हैं एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नही कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बिजौलियां खुर्द, पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2025/289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 16/07/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड़ अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री (अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 46/2024 दायर तारीख 29.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........डिक्रीदार

बनाम्

रूकमणी देवी पत्नि रामनाथ जाति मीणा निवासी प्लाट नं. 1 डी–70 शास्त्रीनगर ललीता कॉलोनी बेरियो की बस्ती जयपुर।

.........मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 16/07/2024
डिक्री दिनांक : 16/07/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रुप से डिक्री** किया जाकर ग्राम बिजौलियां खुर्द, पटवार मण्डल बिजौलियां खुर्द, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 2025/289 रकबा 0.7932 है0 किस्म माल भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना–अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/07/2024 को जारी की गई।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)

लगातार पेज संख्या 02 पर